International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(II), January - March, 2024, pp. 97-100

सल्तनत काल में नागौर का राजनैतिक इतिहास

डॉ. अमित मेहता*

सार

प्राचीन काल से ही भारत में बहुसंस्कृति, विभिन्न धर्म तथा सभ्यताओं का समावेश रहा है। विश्व में भारत एक मात्र सम्पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष देश हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समान रूप से सभी धर्मो के सम्मान से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–26 के अनुसार सभी धर्मो को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया । साथ ही अल्पसंख्यको के मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण किया गया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद–25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सभी मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद–29 व 30 में कुछ सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार भी दिये गये। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के अंर्तगत हिन्दुओ में दलितों तथा महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों व ईसाईयों में महिलाओं के प्रति भेदभाव व बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किये जा सकने वाले खतरो का भी विरोध किया गया है। अल्पसंख्यको को अपनी संस्कृति तथा शैक्षिक संस्थाए रखने के अधिकार भी संविधान में दिये गये है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द अनुच्छेद–29 से 30 तथा 350क से 350ख में प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद–29 में अल्पसंख्यक शब्द पर्श्व शीर्षक में प्रयोग किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 2(7) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में माना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबधित तथ्यों को विभिन्न अनुच्छेदो में बांटा गया है इससे स्पष्ट होता है कि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मामलों में न्याय न्यायालयों द्वारा धर्म व धर्म से जुड़े लोगो के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता के कारण भारत में सभी धर्मो के लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र है तथा वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी स्वतंत्र रूप से कर सकते है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। इसके प्रमाण अस्पृश्यता में प्रतिबंध, तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश आादि है।

शब्दकोशः *बहुसंस्कृति, निषेधात्मक संबंध, धर्मनिरपेक्षता, अस्पृश्यता में प्रतिबंध, तीन तलाक।*

प्रस्तावना

मध्यकालीन युग में, नागौर के चारों ओर तीन सौ से चार सौ किमी के क्षेत्र में नाग गणों के गणराज्य फैले हुए थें। इसलिए इस क्षेत्र को उस युग में 'नागाणा' (नाग+गण) कहा जाता था। नागौर का एक नाम 'अहिछत्रपुर' भी था जिसका अर्थ नागों की छत्र छाया में बसा हुआ नगर होता है। इसका उल्लेख महाभारत में

* सह आचार्य, इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान।

किया गया है। मध्यकालीन युग में, नागौर उत्तर में गुजरात और सिंघ से आने वाले व्यापार मार्गो और पश्चिम में मुल्तान से सिंधु को पार करने वाले मार्गो पर स्थित था। महम्मुद गजनवी के आक्रमणों के समय में नागौर शक्तिशाली चौहानों के अधीन था। नागौर महम्मुद गजनवी के आक्रमणों के समय से ही मुस्लिम शक्ति का केन्द्र बन गया और दिल्ली सल्तनत के लगभग सम्पूर्ण काल में मुस्लिम शक्ति का मजबूत स्तम्भ बना रहा। इस क्षेत्र पर कभी दिल्ली के सुल्तानों का तो कभी गुजरात के सुल्तानों का शासन रहा।

1119 ई. में पंजाब के गजनवी गवर्नर मुहम्मद बहलीम ने चौहान शासक अजयराज को पराजित कर नागौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बहलीम ने जीते हुए क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से नागौर में एक मजबूत किला भी बनवाया। मुहम्मद बहलीम ने अपनी स्थिति ओर मजबूत करने के बाद अपने गजनवी मालिक के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप गजनी के सुल्तान बहराम को उसके खिलाफ एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करना पड़ा। दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें मुहम्मद बहलीम अपने दस पुत्रों के साथ मारा गया। सुल्तान बहराम ने अब सालार हुसैन को भारतीय सम्पति का गवर्नर नियुक्त किया।(1) अब नागौर एक मजबूत किले के साथ राजस्थान में मुस्लिम शक्ति का केन्द्र बन गया था। अजयराज और क्रमिक चौहान शासकों ने नागौर को फिर से हासिल करने की कोशिश की, परन्तु वे कुछ हासिल नहीं कर सके। अजमेर संग्रहालय की चौहान प्रशस्ति में अजमेर के तुर्को पर जीत का श्रेय चौहान प्रमुख अर्नोराज को दिया गया है, परन्तु चौहान नागौर पर पूरी तरह से मुस्लिम कब्जे को हटा नहीं सके।(2)

नागौर अपनी स्थापना के प्रारम्भिक चरण में दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1223 ई. तक यह करीमुद्दीन हमजा के पास था।(3) 1228 ई. में इल्तुतमिश के समय खिल्लत के लिए उपहारों के साथ बगदाद से दूतों के आगमन के संदर्भ में मिन्हाज सिराज की तबकात–ए–नासिरी में नागौर का एक संक्षिप्त संदर्भ यह दर्शाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों के अधीन भी यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहा और इसका कार्यभार किसी महत्त्वपूर्ण कुलीन को सौंपा जाता था। सुल्तान मसूद ने नागौर के कार्यभार को मलिक इज्जुद्दीन बलबन किश्रलू खान को सौपा था। जिसने सुल्तान बहराम को अपदस्थत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसे अपदस्थत कर स्वयं को सुल्तान घोषित करने का साहस किया। 1245 ई. में मंगोलों के आक्रमण के दौरान मलिक इज्जुद्दीन ने सैनिक नेतृत्व कर आक्रमणकारियों को खदेडने में सेवा प्रदान की। उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर सुल्तान मसूद ने उसे नागौर के साथ मुल्तान का कार्यभार भी सौपा दिया था।(4)

1250 ई. में इज्जुद्दीन बलबन किश्रलू खान को उच्छ भेज दिया तथा बहाउद्दीन बलबन के भाई मलिक किश्रली खान सैफुद्दीन को नागौर सौंप दिया। 1251 ई. में बहाउद्दीन बलबन को वकील–ए–दार के पद से हटाकर इमामुद्दीनुद्दीन रेहान को वकील–ए–दार बनाया गया। बहाउद्दीन बलबन को शाही दरबार से दूर रखने के लिए उन्हें नागौर स्थान्तरित कर दिया गया और उनके भाई मलिक किश्रली खान सैफुद्दीन को कारा स्थान्तरित कर दिया गया। नागौर का कार्यभार ग्रहण करते ही बलबन ने अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। 1254 ई. में उन्होने रणथम्भौर, बूंदी और चितौड के खिलाफ एक सैन्य अभियान किया। मिन्हाज सिराज के अनुसार उन्होने रणथम्भौर के चौहान शासक राय बहार (वाग्भट्ट) को हराकर घोड़े और कैदियों की भारी लूट की। इस दौरान इमामुद्दीनुद्दीन रेहान दिल्ली में शांति और व्यवस्था बहाल करने में असफल रहा। इमामुद्दीनुद्दीन रेहान को सत्ता से बेदखल करने के लिए असंतुष्ट तुर्क कुलीनों तथा सल्तनत के विभिन्न हिस्सो के प्रमुख सरदारों ने मिलकर बलबन को दिल्ली पर चढाई करने के लिए आमंत्रित किया। इस शक्तिशाली संघ का सामना करने के लिए रेहान ने सुल्तान के साथ दिल्ली से मार्च किया । सुनाम के पास दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य थोडे युद्ध के बाद समझौता हो गया। तदनुसार 1255 ई. में बलबन को उसके पुराने पद वकील–ए–दार पर बहाल कर दिया गया और रेहान को बदायूं स्थान्तरित कर दिया गया।(5)

समकालीन स्त्रोत खिलजी शासन (1296–1316 ई.) के समय तक नागौर के बारे में बहुत कम जानकारी प्रदान करते है। सुल्तान अलाउद्दीन के शासन काल (1296–1316 ई.) के दौरान नागौर पर मंगोलों

का भयंकर आक्रमण हुआ। अमीर खुसरों के अनुसार कापाक व इकबाल के नेतृत्व में मंगोल की सेना सिंध को लूटकर और शक्तिशाली कुहराम व सम्माना के गढ़ो से बचते हुए नागौर पहुँची और इसे लूट लिया। जब सुल्तान को इस बारे में पता चला तो सुल्तान ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। यह सेना मंगोल आक्रमणकारियों पर टुट पड़ी और उन्हें हरा दिया। मंगोल कमांडर कापाक व इकबाल को उनके कई सैनिको सहित बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया जहॉ उन्हें उनके कई सैनिको सहित मौत के घाट उतार दिया गया।(6)

नागौर तुगलक सुल्तानों के अधीन दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहा। यह बताया जाता है कि सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने 1345 ई. के आरम्भ में काजी जलाल और उसके लेफ्टिनेंटों के विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात पर आक्रमण किया तब वह लगभग दो महिने तक नागौर में रूके थे।(7)

भारत पर तैमूर के आक्रमण (1398 ई.) के बाद के समय में गुजरात और उसके आस–पास के क्षेत्रो पर जफर खान का नियंत्रण था।(8) जफर खान के बेटे ने अपने पिता से सत्ता छीन ली और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कुछ समय बाद जफर खान के भाई शम्स खान ने जफर खान के बेटे को जहर दे दिया और जफर खान ने फिर से सत्ता सम्भाल ली। जफर खान ने शम्स खान को नागौर का प्रभार सौंपा।(9) 1421 ई. में शम्स खान की मृत्यु के बाद मण्डोर के राठौड़ शासक चूंडा ने शम्स खान के बेटे फिरोज खान से नागौर छिन लिया। अगले ही वर्ष 1422 ई. में चूंडा की मृत्यु के बाद फिरोज खान ने राठौड़ो से अपना खोया हुआ क्षेत्र वापिस प्राप्त कर लिया।(10) नजामुद्दीन अहमद ने उल्लेख किया है कि गुजरात के सुल्तान अहमद ने मेवाड़ और नागौर के खिलाफ एक अभियान किया था जिसमें उन्होने राणा मोकल और राठौडों के क्षेत्रों को लुटा था।(11) 1460 ई. के कुम्भलगढ़ शिलालेख में फिरोज खान के खिलाफ राणा मोकल की सफलता का उल्लेख है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि राणा मोकल का नागौर पर कब्जा अल्पकालिक साबित हुआ क्योंकि 1439 ई. के रणकपुर के शिलालेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राणा मोकल के उत्तराधिकारी राणा कुम्भा द्वारा नागौर किले पर कब्जा किया था।(12) फिरोज खान की मृत्यु के बाद शम्स खान द्वितीय और फिरोज खान के भाई के बेटे मुजाहिद खान में संघर्ष उत्पन्न हो गया। तब राणा कुम्भा को नागौर के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। मुजाहिद खान द्वारा पराजित और नागौर से बाहर निकाले जाने पर शम्स खान द्वितीय ने मदद के लिए राणा कुम्भा से सम्पर्क किया। राणा कुम्भा शम्स खान द्वितीय की मदद के लिए सहमत हो गये परन्तु एक शर्त रखी कि वह नागौर किले पर कब्जे के बाद किले के तीनों बुर्जो को नष्ट कर देगा। अपनी परिस्थितियों के दबाव में आकर शम्स खान द्वितीय शर्त पर सहमत हो गया। राणा कुम्भा की सहायता से वह नागौर पर कब्जा करने में सफल रहा और मुजाहिद खान को मालवा के सुल्तान मुहम्मद खिलजी की पनाह में भागना पड़ा।(13) जब शम्स खान द्वितीय ने शर्त के अनुसार तीनों बुर्जो को नष्ट नहीं किया। तब राणा कुम्भा ने अपनी सेना के साथ नागौर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर शम्स खान द्वितीय नागौर छोड़कर अहमदाबाद भाग गया और वहाँ उसने अपनी बेटी की शादी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से कर दी और वह उससे मदद लेने में सफल रहा। तदानुसार, गुजरात के सुल्तान ने राणा कुम्भा के विरोध में अमीन चंद और मलिक गदाई के नेतृत्व में सेना भेजी। परन्तु राणा कुम्भा ने गुजरात की सेना को हराकर क्षेत्रो को लुटा तथा नागौर के किले पर कब्जा कर लिया। साथ ही शम्स खान द्वितीय के खजाने को भी लूट लिया।(14) राणा कुम्भा द्वारा नागौर की लूट और तबाही से क्रोधित होकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने 1456 ई. में मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। कुछ दिनों तक यह युद्ध चला परन्तु सुल्तान कुतुबुद्दीन को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।(15) इसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मालवा के राजा के साथ गठबन्धन किया और उन्होने राणा कुम्भा के क्षेत्र में दोनों ओर से हमला किया। परन्तु फिर भी सुल्तान कुतुबुद्दीन को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

राणा कुम्भा की मृत्यु (1468 ई.) के बाद मेवाड़ की आंतरिक उलझनों से मजबूर होकर इसके शासको ने नागौर के मामलों में कम रूची ली। यह काफी समय तक गुजरात पर निर्भर रहा। 1509 ई. में शम्स खान की वंशावली के शासक मुहम्मद खान को अपने दो भाईयों अली खान और अबु बक्र द्वारा सत्ता से हटाने के लिए रची गई साजिश का सामना करना पड़ा। तब मुहम्मद खान ने दिल्ली के सुल्तान सिकन्दर लोदी के अधिकार

को स्वीकार करना बुद्धिमानी समझा।[16] 1525 ई. में मारवाड़ के राव गंगा (1515–1532 ई.) ने धोखे से दौलत खान से नागौर छिनकर उस पर कब्जा कर लिया। 1542 ई. में शेरशाह सूरी ने इसे मालदेव से छीन लिया। तब तक यह राठौड़ रियासत का हिस्सा बना रहा।[17]

इस प्रकार सल्तनत काल के दौरान मारवाड़ के राठौड शासकों और मेवाड़ के राणाओं के संक्षिप्त कब्जे को छोड़कर नागौर तुर्की शासकों के अधीन रहा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जॉन ब्रिगस्, हिस्ट्री ऑफ दी राईज ऑफ मॉहम्मेदन पॉवर इन इण्ड़िया (फरिस्ता, तारिख–ए–फरिस्ता इग्लिश अनु.), भाग–1, पृ. 151
2. जी एस ओझा, राजपूताना का इतिहास, पृ. 269
3. पीटर जैक्सन, दी दिल्ली सल्तनत, कैम्ब्रिज–1992, पृ. 42, एच जी रावर्टी, मिन्हाज सिराज, तबाकत–ए–नासिरी, इग्लिश अनु. लंदन 1881, पृ. 200
4. एच जी रावर्टी, मिन्हाज सिराज, तबाकत–ए–नासिरी, इग्लिश अनु. लंदन 1881, पृ. 661–662, 775–776, जॉन ब्रिग्गस्, हिस्ट्री ऑफ दी राईज ऑफ मॉहम्मेदन पॉवर इन इण्ड़िया (फरिस्ता, तारिख–ए–फरिस्ता इग्लिश अनु.), भाग–1, पृ. 230
5. एच जी रावर्टी, मिन्हाज सिराज, तबाकत–ए–नासिरी, इग्लिश अनु., लंदन 1881, पृ. 698–700, 830–34
6. रिजवी, खिलजी कालीन भारत (अमीर खुसरो, खजैनुल–फुतुह, हिन्दी अनु.) अलीगढ़, पृ. 159
7. रिजवी, तुग्लककालीन भारत (इस्लामी, फुतुहुस–सलातीन हिन्दी अनु.) अलीगढ़, पृ. 116–117
8. रिजवी, उतर तैमुर कालीन भारत (याहया सरहिन्दी, तारिख–ए–मुबारकशाही हिन्दी अनु.) अलीगढ़, पृ. 4
9. रिजवी, उतर–तैमुर कालीन भारत (सिकन्दर, मीरात–ए– सिकन्दरी हिन्दी अनु.) अलीगढ़, भाग–2, पृ. 259–60
10. बी एन रेयु, गलोरी ऑफ मारवाड़ एण्ड दी गलोरियस राठौरस्, जोधपुर 1943, पृ. 13–14
11. रिजवी, उतर तैमुर कालीन भारत(निज्जाममुद्दिन अहमद, तबाकत–ए–अकबरी, हिन्दी अनु.) भाग–2, पृ. 201–202
12. जी एस ओझा, राजपूताना का इतिहास, भाग–2, पृ. 585–586
13. रिजवी, हाजी–उद–दाबीर, जाफर वलह, हिन्दी अनु., भाग–2, पृ. 405–406,
14. रिजवी, उतर तैमुर कालीन भारत(निज्जाममुद्दिन अहमद, तबाकत–ए–अकबरी, हिन्दी अनु.) भाग–2, पृ. 206–207
15. रिजवी, उतर–तैमुर कालीन भारत (सिकन्दर, मीरात–ए– सिकन्दरी हिन्दी अनु.) अलीगढ़, भाग–2, पृ. 291
16. रिजवी, उतर तैमुर कालीन भारत(निज्जाममुद्दिन अहमद, तबाकत–ए–अकबरी, हिन्दी अनु.) भाग–2, पृ. 224, के एस लाल, ट्विलाइट ऑफ दी सल्तनत, लंदन, पृ. 185
17. आई एच सिद्दकी, (1)मुस्ताक्वी, वाकैत–ए– मुस्ताक्वी इग्लिश अनु. दिल्ली, 1993, पृ. 156, (2)सम एसपेक्ट ऑफ अफगान डेस्पोटिज्म इन इण्डिया, 1969, पृ. 102–103

❖◆❖